

148

31

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013

Order

Dated Shimla-171002, the

Sub :- Diversion of 4.2017 hectares of forest land in favour of HPPWD for the construction of Choltu to Jani road (KM.0/00 to 8/510), within the jurisdiction of Kinnaur Forest Division, Distt. Kinnaur, HP.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB840/2007-CHA** दिनांक **02.07.13** के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा 4.2017 hectares of forest land in favour of HPPWD for the construction of Choltu to Jani road (KM.0/00 to 8/510), within the jurisdiction of Kinnaur Forest Division, Distt. Kinnaur, HP को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- 2 कम से कम वृक्ष कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार चार सौ तरासी वृक्षों से अधिक नहीं होगी।
- 3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UF-48 of Bhabanagar Range में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये **11,59,324/-** (ग्यारह लाख उन्सठ हजार तीन सौ चौबीस मात्र) की राशि से कुल **8.50** हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- 4 No labour camp shall be established on the forest land.
- 5 The User Agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
- 6 The user agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the flora and fauna available in the area.
- 7 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

B/FCA
Arccf.(FCA)

प्रमुख वन अधिकारी

पादो स 2013

दिनांक

31/7/13

P.cef
25/7

- 8 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश संख्या 11-48/2002
- FC दिनांक 29/30 अप्रैल-2005, 5-3/2007-FC दिनांक 17 जनवरी 2011 तथा अन्य जारी
दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 9 यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदश आदि
इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी
की जिम्मेवारी होगी।
- 10 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अर्न्तगत पूर्व में जारी
स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB840/2007-CHA दिनांक 02.07.13 जारी सभी शर्तों की पालना
सुनिश्चित की जायेगी। (Copy enclosed).
- 11 उपरोक्त निर्माण में जो भी वृक्ष आयेगें उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हटाया जायेगा।
- 12 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum-
Deputy Commissioner, District Kinnaur, HP.
- उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति
को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना
सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार बिमला -2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the... 23/7/13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment
and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 -A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in
the above order.
4. The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh,
Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Kinnaur, Distt. Kinnaur, Himachal Pradesh.
6. Executive Engineer, HPPWD, Karcham Division at Bhabanagar, Distt Kinnaur, HP.
7. CCF, Kinnaur /DFO, Kinnaur Forest Division, Distt. Kinnaur H.P.
8. Guard File..

Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.